REPORT OF THE OVERSIGHT COMMITTEE, NGT, U.P, LUCKNOW

IN THE MATTER OF:-

ORIGINAL APPLICATION NO. 670/2018

ATUL SINGH CHAUHAN
VERSUS
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE & ORS.

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	REPORT OF OVERSIGHT COMMITTEE	1 – 7
2.	Appendix - I	8 – 15
3.	Appendix - II	16 – 35

SUPPLEMENTARY REPORT REGARDING COMPLAINT SUBMITTED BY SHRI ATUL SINGH CHAUHAN IN CONNECTION WITH O.A. NO. 670/2018 IN RE: ATUL SINGH CHAUHAN VS. MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE & ORS.

(Updated Supplementary Report in continuation of earlier report dated 15.03.2021)

I. BACKGROUND

Applicant **Atul Singh Chauhan** had approached the Hon'ble NGT with the contention that lot of irregularities were taking place in mining in river Yamuna at Prayagraj (Allahabad). He had filed a petition in the year 2018 titled *Atul Singh Chauhan vs. Ministry of Environment, Forest and Climate Change &Ors.* His contention was that mining was allowed prior to preparation of District Survey Report (DSR). He contended that it was being done in an unscientific way, in stream mining was resorted too. Mining was being done upto 4 to 6 meter deep using Pokland Machine. Mining was done without taking EIA clearance in violation of Supreme Court Order in *Deepak Kumar vs State of Haryana & others,* **(2012) 4 SCC 629**. 400 to 500 trucks of sand were daily moving out transporting sand in excess of the permissible limit of 125 trucks. These trucks were carrying a load of 12 to 20 cubic meters instead of permissible limit of 6 cubic meters. Mining was being done in utter violation of orders passed by Hon'ble NGT in the cases in order dated 04.09.2019 in **OA No. 173/2018** in re: *Sudarshan Das versus State of West Bengal and others*, order dated 26.04.2019 passed in **OA No. 44/2016** in re: *Mushtakeem versus MoEF& CC and others* and order dated 13.09.2018 passed in **OA No. 186/2016** in re: *Satendra Pandey versus MoEF& CC and another*.

The issue of sand mining in Yamuna River area of Prayagraj district is being considered in O.A 670/2018 (I.A. NO. 22/2019, M.A. NO. 145/2019, I.A. NO. 694/2019 & M.A. NO. 773/2019) in re: *Atul Singh Chauhan vs. Ministry of Environment, Forest and Climate Change &Ors.* A complaint was sent by Mr. Atul Singh Chauhan through registered post directly to the Oversight Committee on 23.05.2021 **(Refer Annexure-I).** Since there were several allegations and the complainant had also filed some document in support thereof so the committee considered it necessary to call for parawise report from Mining Officer, Chief Mining Officer and DM, Prayagraj. The report received from Mining Officer, Prayagraj on 8th June, 2021 is annexed as **Annexure- II.**

Parawise Summary of Allegations of the Complainant dated 23.05.2021 (Refer Appendix- I) and the report received from Mining Officer, Prayagraj vide letter no. 2165/Khaniz/2021-22 dated 04.06.2021 (Refer Appendix- II)

Parawise summary of allegations of the complainant dated 23.05.2021 and the report received from Mining Officer, Prayagraj vide letter no. 2165/Khaniz/2021-22 dated 04.06.2021 thereon is as under:

Allegation no. 1: The vehicles involved in illegal transportation are released by the competent Judicial Magistrate of the District Court whereas neither the District Mines Administration make any hard submission before the competent court against the vehicles involved in illegal transportation and nor is there any interest shown by the Uttar Pradesh Government in compliance of order dated 10.11.2019 passed by the Hon'ble NGT. No strict rules have been made by the Uttar Pradesh Government for compliance of the order dated 10.11.2019 passed by the Hon'ble NGT. In the context of the above order dated 28.02.2020, the Director, Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh, Lucknow, vide letter no. 1056/86-2020 dated 30.06.2020, all the District Magistrates of Uttar Pradesh were asked to take necessary action regarding compliance of the above order, but action was taken against the vehicle involved in the transportation of illegal minerals in any district of the State in compliance of the order passed by the Hon'ble NGT and before the Oversight Committee, the District Mines Officer, Prayagraj presented a misleading and factless answer.

Report: The vehicles caught on the charge of illegal mining/ transportation by the task force constituted in the district were taken into custody on the charge of illegal mining/ transportation, the details of which have been presented before the Hon'ble Committee in the financial year wise table. Under Section 21 (4A) of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act 1957, the competent court has the sole right to acquire/ dispose of vehicles, under which a complaint has been filed in the competent court under section-22 of the Act under the authority conferred by the mandate no. 608 (1)/86-10-24/249 dated 15.02.2010, incorporating the orders and rules/ acts passed by the Hon'ble NGT, New Delhi. The above directions of Hon'ble NGT have not yet been included in the Rules. Therefore, Magistrates at Prayagraj (Allahabad) have released 252 vehicles. Revisions have been filed for all vehicles before Hon'ble Session Judge, Allahabad against such vehicle release order.

In addition to the above, it is also to be informed here that **in compliance with the order dated 28.02.2020 passed by the Hon'ble NGT in Prayagraj and in compliance with the instruction**

given by the mandate no. 1056/86-2020 dated 30.06.2020, an amount of Rs. 1,54,00,000/- has been recovered so far as environmental compensation.

The said amount has been deposited in the account no. 701502010002104 IFSC Code UBIN0570150 Union Bank of India B-1, Vibhuti Khand, B-3/188, Vaibhav Khand, Gomti Nagar, Lucknow of UPPCB.

Therefore, it is clear from the above that the complainant is trying to mislead the committee due to lack of information or intentionally.

Allegation no. 2:

i. 21 sand blocks on Yamuna River in Prayagraj district were advertised on 07.09.2017. The District Survey Report (DSR) was not prepared before the advertisement. District survey report was approved on 29.11.2017. The District Survey Report not placed in public domain, uploaded only on NIC website.

ii. Advertisement was published on 07.09.2017 by dividing the entire area of Yamuna River located in Prayagraj into 21 blocks and the entire process of tender was completed before the 29.11.2017 while the District Survey Report was approved on 29.11.2017.

iii. The DSR were wrongly prepared and approved after the allotment of the entire blocks, due to which all 21 blocks allotted in Yamuna River in Prayagraj district were allotted in the river's water stream. In OA No. 670/2018, the Director, Geology and Mining investigation report dated 24.06.2019 found the entire sand block of Prayagraj in the water stream of the river and after cancelling the entire blocks of Prayagraj, preparing the district survey report and directed for re-allocation was done.

iv. It was told by the District Administration, Prayagraj before the Monitoring Committee that out of 21 blocks of Yamuna River, 11 blocks have been separated and allocated afresh whereas in the report of the Technical Committee, 10 blocks were found suitable for mining from the Northern end of Yamuna River from district Kaushambi. The District Administration, Prayagraj re-advertised 08 blocks of the Yamuna River without preparing the District Survey Report and re-allocated it, while the Director, Geology and Mining has been asked to prepare the DSR again. The District Survey Report has been asked to be prepared according to the Guidelines of MOEF&CC, Government of India in February, 2020, in which at present 04 leases are involved in mining and transportation work from the border of district Kaushambi. It is also necessary to mention here that mining work is being done by transferring the previously allotted environmental cleanliness certificates

to the re-allocated blocks, whereas the geographical conditions of the previously allotted environmental cleanliness were different. The mining blocks located in the river's stream were separated by the district administration, but no action was taken against the culprits of the allocated blocks in the river stream, nor did the assessment of environmental damage caused by mining done by the leaseholders of the allotted blocks. No action was taken against the culprits by the State Govt/ District Administration to compensate for the irreparable damage to the environment.

Report: The DSR of the available areas of ordinary sand in Prayagraj district has been prepared as per the guidelines given by the MOEF&CC, Government of India. DSR has been uploaded on the public domain site NIC (accessible for all).

In the inspection report of the Director, Geology and Mining, instructions were received to re-survey the areas of the river bed of the district Prayagraj and to be constituted afresh. Writ Petition No. 22533/2019 M/s C. L. Gupta & Sons Vs. State of U. P. & Ors. was filed in the Hon'ble Court, Allahabad against the report of the Director, Geology and Mining dated 24.06.2019, in which orders were passed by the Hon'ble High Court, Allahabad on 01.08.2019.

According to the latest amendments of the Uttar Pradesh Mining (Reduction) Rules, 1963, as per the instructions given by the Director, Geology and Mining vide letter no. 787 dated 14.08.2019, re-survey of the areas of the river bed and identification of the mineable areas outside the river's water stream was directed. On the basis of the quantity of the minerals available in the areas after Technical Investigation, the report was obtained by constituting a 09-member Interdepartmental Committee by office order no. 1058/e-tender Balu/ Khanan/2019-20 dated 24.09.2019. According to the report received, out of total 21 blocks of Yamuna River, 11 blocks were found to be submerged, the remaining 10 blocks showed availability of mineable sand on which advance action was taken through e-tender cum e-auction as per the latest mandate. Regarding the updated status of 51 areas identified as per DSR in Prayagraj district, area wise report has been presented before the Hon'ble Committee in the past which is annexed as **Appendix- II.**

Allegation no. 3:

i. At present, the mining leases of Yamuna River of Prayagraj are being operated from the border of district Kaushambi, due to which this place is away from the supervision of the administrative officer of Prayagraj and the work of sand mining is done by the leaseholders from the water stream of Yamuna River by Pokland machines, which can be

confirmed by the current flowing on the route from the vehicles being transported, which is shown in the attached photographs **(Refer Appendix- I).**

ii. To check illegal mining by the district administration, it has been said before the Oversight Committee that CCTV cameras have been installed on the mining blocks and geo-coordinates pillars have been installed, whereas nothing like this has been done on the ground nor has been done by the district administration on geo-coordinates. The photographs of the geo-coordinate pillars were not presented before the Oversight Committee, nor was the recording of the last 03 months of CCTV cameras preserved and presented before the Oversight Committee, from which it is clear that wrong information was given by the District Administration, misleading the Oversight Committee.

iii. Irregularities by the mining leaseholders are being carried out by overloaded vehicles in excess of capacity against the standard. It was informed by the District Administration to the Oversight Committee that CCTV cameras have been installed on the mining areas by the leases, but the recording of the CCTV cameras of the mining areas was neither preserved by the District Administration nor presented to the Monitoring Committee.

iv. Mining tax is being illegally stored by the mining leases, while the storage is being stored in the recommended quantity. The storage is being done without the EMM-11 Form, due to which the amount of mineral from which mining blocks has been extracted and stored, it is not confirmed and later the stored sand is illegally transported by the storekeeper.

v. Illegal mining is flourishing extensively with the connivance of the district and Mines Administration. This is confirmed by the investigation report of the Joint Team constituted by Divisional Commissioner Prayagraj, Division Prayagraj. Commissioner Prayagraj, Division Prayagraj sent a letter in this regard to the Additional Chief Secretary, Appointment Section, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow, on the letter no. 3861/30.04.2020 dated 23.09.2020 of this office.

vi. In connection with the complicity of the district mining and administrative officers in illegal mining happening in Prayagraj, a letter was sent by the Divisional Commissioner Prayagraj, Division Prayagraj to the Secretary, Geology and Mining, Uttar Pradesh Govt., Lucknow on its letter no. 3860/30.04.2020 dated 23.09.2020 **(Refer Appendix- II),** in which the formation of a Special Research Team Uttar Pradesh Lucknow (SIT) has been recommended for the detailed investigation of illegal mining in Prayagraj district, in the light of proving that illegal mining is taking place in Prayagraj, but against the officers of

the district administration, the Divisional Commissioner. Action was recommended by Prayagraj, the Monitoring Committee has been misled by the same officers by presenting wrong and misleading facts before the Monitoring Committee.

Report: The mining lease of Yamuna River of Prayagraj district are being operated on behalf of district Kaushambi through valid transport Form EMM-11. There is no restriction on transportation of mineral from any other district through valid form as per the Provision of Uttar Pradesh Minor Minerals (Avoidance) Rules, 1963. Surprise inspection of mining areas is done by the Task Force constituted at the tehsil level. No fact of mining from the water stream (50 meters) has come to light so far. Due to the location of the mining area on the banks of the river, the water level is very high, due to which there is water logging in that area after mining, which is often mistaken as a stream at first sight, whereas in reality it is not so. There is no restriction on mining by machines as per rules in the Provision of Uttar Pradesh Minor Minerals (Avoidance) Rules, 1963.

CCTV cameras and weighing machines have been installed in all the mining areas of Prayagraj district and geo-fencing has been done by marking the mining lease areas with geo-coordinates, which is also monitored from the Integrated Command Centre established at Directorate level.

Storage is being done by the mining leaseholders in district Kaushambi through a valid form as per the rules obtained from the competent authority with valid storage license.

Efforts have been made to check illegal mining/ transportation in Prayagraj district, as a result of which there is effective control on illegal mining/ transportation. It is also mentioned in the minutes of the meeting of the Oversight Committee dated 08.02.2020 chaired by Justice Shri Rajes Kumar. It is also mentioned in the said minutes that the action taken by the complainant against illegal mining/ transportation has also been considered. Even after being aware of all the proceedings by the complainant, only the old facts have been presented before the Oversight again due to the feeling of malice. The allegation made in the complainant letter appears to be an attempt by the people affected by the action taken against illegal miners and the leaseholders of the districts to not allow sand mining in the district as per rules.

Action is being taken continuously by the Task Force formed in Prayagraj district and the Mobile team working on three routes in 24 x 7 period. Regarding the action taken financial year wise, the Hon’ble Committee has been informed earlier by this office’s letter no. 574/Khaniz/2020-21 dated 10.02.2021.

OPINION OF THE COMMITTEE

Some of the allegations of the applicant relate to district Kaushambi, for which a separate report shall be called.

So far as the allegations made in this complaint are concerned, they relate to district Prayagraj, in view of Mining Officer's Report. In the considered opinion of this committee no further action needs to be taken at this stage. There is a need to submit a separate report by DM Prayagraj and Chief Mining Officer regarding compliance. The Oversight Committee shall call for further reports and submit its additional report.

The Member Secretary, UPPCB is directed to send this report to the Registrar General, National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi for placing the same before the Hon'ble Tribunal with a copy to the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh for necessary action. The report also be uploaded on the website of the Committee.

15-06-2021

X SVS Rathore

Justice SVS Rathore
Chairman, Oversight Committee
Signed by: SURENDRA VIKRAM SINGH RATHORE

June 15, 2021

Annexures: As above

Please visit our website: ***oscngt.upsdc.gov.in*** for more information.

Appendix- I

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष,
मा0रा0ह0अ0,
प्रधानपीठ, नई दिल्ली।

विषयः ओ0ए0 नम्बर 670/2018 अतुल सिंह चौहान बनाम एम0ओ0ई0एफ में ओवरसाईट कमेटी द्वारा सम्मिलित आख्या दिनांक 15.03.2021 के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि मेरे द्वारा जनपद प्रयागराज (इलाहाबाद) मे यमुना नदी पर सन् 2017 मे बालू खनन पट्टों के आवंटन में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में आप के समक्ष ओ0ए0 नम्बर 670/2018 योजित की गयी थी जिसमें आपके आदेश दिनांक 28.02.2020 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के सेवा निवृत न्यायाधीश मा0 न्यायामूर्ति एस0बी0एस0 राठौर की अध्यक्षता में ओवरसाईट कमेटी का गठन कर मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों को मॉनिटरिंग करने का आदेश पारित किया गया।

उपरोक्त ओवरसाईट कमेटी के समक्ष राज्य सरकार/जिला प्रशासन प्रयागराज द्वारा जो आख्या प्रस्तुत की गयी वह भ्रामक एवं मनगढ़ंत हैं। राज्य सरकार/जिला प्रशासन प्रयागराज द्वारा प्रस्तुत आख्या के आधार पर उपरोक्त आख्या जो आपके समक्ष प्रस्तुत की गयी है उसका बिन्दुवार प्रत्युत्तर मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा दिनांक 15.03.2021 को आपके समक्ष अपने रिपोर्ट प्रेषित की जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 18.03.2021 को मेरे द्वारा योजित ओ0ए0 नम्बर 670/2018 को निस्तारित कर दिया गया।

ओवरसाईट कमेटी के समक्ष जिला प्रशासन प्रयागराज द्वारा जो भ्रामक एवं मनगढ़ंत आख्या प्रस्तुत की गयी है उसके सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर महोदय आपका ध्यान आकृष्ट कराना है –

उपरोक्त प्रकरण जिसकी अनुपालन आख्या श्री अंजनी कुमार सिंह प्रभारी क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज एवं श्री मिथलेश कुमार पाण्डेय खान अधिकारी प्रयागराज द्वारा कहा गया है कि अवैध परिवहन में संलिप्त वाहनों को जनपद न्यायालय के सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अवमुक्त कर दिया जाता है जबकि अवैध परिवहन में संलिप्त वाहनों के विरूद्ध जिला खान प्रशासन द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष कोई कठोर पैरवी नही की जाती और न ही उ0प्र0 सरकार द्वारा मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.2019 के अनुपालन में कोई रूचि नहीं दिखाई जाती है। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.2019 के अनुपालनार्थ उ0प्र0 सरकार द्वारा कोई कठोर नियमावली नहीं बनायी गयी है। उपरोक्त पारित आदेश दिनांक

28.02.2020 के परिपेक्ष्य में निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या 1056/86–2020 दिनांक 30.06.2020 को उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को उपरोक्त आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया परन्तु प्रदेश के किसी जनपद में अवैध खनिज के परिवहन में संलिप्त वाहनों के विरूद्ध मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालनार्थ कार्यवाही की गयी तथा ओवरसाईट कमेटी के समक्ष जिला खान प्रशासन, प्रयागराज द्वारा भ्रामक एवं तथ्यहीन जवाब प्रस्तुत किया गया। अवैध परिवहन व ओवरलोडिंग प्रयागराज में कितने व्यापक पैमाने पर चल रही है इस बात का पुख्ता सबूत दिनांक 09.11.2020 को थाना औधोगिक क्षेत्र पुलिस द्वारा एक दिन मे 34 अदद ओवरलोड ट्रक एवं डम्फर के विरूद्ध सीजिंग कार्यवाही की गयी।

वर्तमान समय में खनन पट्टों के सम्बन्ध में माननीय ओवरसाईट कमेटी के समक्ष श्री मिथलेश कुमार पाण्डेय जिला खान अधिकारी प्रयागराज द्वारा जो आख्या प्रस्तुत की गयी उसमें कहा गया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 51 खनन खण्डों को चिन्हित किया गया जिसमें 19 खण्ड जलमग्न हैं तथा वर्तमान समय में गंगा नदी पर 4 खनन पट्टे संचालित हैं तथा यमुना नदी पर 10 खनन खण्डों पर 2 खनन खण्ड संचालित तथा अन्य प्रक्रिया के तहत हैं।

उपरोक्त के सन्दर्भ में यह कहना है कि मेरे द्वारा योजित ओ0ए0 नम्बर 670/2018 में मुख्यतः इस प्रकरण को कहा गया था कि –

1. जनपद प्रयागराज में यमुना नदी पर 21 बालू खण्डों को दिनांक 07.09.2017 को विज्ञापित किया गया, विज्ञापन से पूर्व जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार नही की गयी थी, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट दिनांक 29.11.2017 को मंजूर किया गया जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पब्लिक डोमेन पर नहीं रखा गया सिर्फ nic की वेबसाईट पर ही लोड किया गया।

2. प्रयागराज स्थित यमुना नदी के सम्पूर्ण क्षेत्र को 21 खण्डों में विभक्त कर विज्ञापन दिनांक 07.09.2017 को प्रकाशित किया गया तथा निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया दिनांक 29.11.2017 से पूर्व ही पूर्ण कर ली गयी थी जबकि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट दिनांक 29.11.2017 को अनुमोदित हुआ।

3. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गलत ढंग से तैयार कर सम्पूर्ण खण्डों के आवंटन के उपरान्त अनुमोदित कराया गया जिससे जनपद प्रयागराज में यमुना नदी में आवंटित सम्पूर्ण 21 खण्ड नदी की जलधारा में आवंटित कर दिए गये, आपके समक्ष ओ0ए0 नम्बर 670/2018 योजित करने के उपरान्त निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म की जांच आख्या दिनांक 24.06.2019 में प्रयागराज के सम्पूर्ण बालू खण्ड नदी की जलधारा में पाया गया तथा प्रयागराज के सम्पूर्ण खण्डों को निरस्त कर पुनः जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कर पुनः आवंटन हेतु निर्देशित किया गया।

4. मॉनिटरिंग कमेटी के समक्ष जिला प्रशासन प्रयागराज द्वारा यह कहा गया कि यमुना नदी के 21 खण्डों में 11 खण्डों को पृथक कर नए सिरे से आवंटन किया गया है। जबकि प्राविधिक कमेटी के रिपोर्ट में 10 खण्ड यमुना नदी के उत्तरी सिरे जनपद कौशाम्बी की तरफ से खनन हेतु उपयुक्त पाया गया, जिला प्रशासन प्रयागराज द्वारा बिना जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कराए पुनः विज्ञापन कर यमुना नदी के 8 खण्डों को पुनः आवंटित किया गया जबकि निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म महोदया द्वारा पुनः जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट भारत सरकार वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कि फरवरी 2020 की गाईड लाईन के अनुसार तैयार करने को कहा गया है जिसमें वर्तमान समय में 4 पट्टे जनपद कौशाम्बी की सीमा से खनन एवं परिवहन कार्य कर रहे हैं यहां इस बात का उल्लेख करना भी आवश्यक है कि पुनः आवंटित खण्डों को पूर्व में आवंटित पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र स्थानान्तरित कराकर खनन कार्य किया जा रहा है जबकि पूर्व में आवंटित पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न थीं।

5. महोदय, जिला प्रशासन द्वारा नदी की जलधारा में स्थित खनन खण्डों को पृथक तो कर दिया गया परन्तु नदी जलधारा में आवंटित खण्डों के दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गयी और न ही आवंटित खण्डों के पट्टेधारकों द्वारा किये गये खनन से हुई पर्यावरण की क्षति का आंकलन कराया गया और न ही पर्यावरण की हुई अपूर्णीय क्षति की भरपाई हेतु दोषियों के विरूद्ध राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गयी।

अवैध बालू खनन के विरूद्ध जो अनुपालनार्थ आख्या जिला प्रशासन द्वारा मा0 कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किए गये वह पूर्णतया सिर्फ कागजों पर दर्शित है जबकि भौतिक स्थलीय स्थिति काफी पृथक है जो निम्न हैं –

1. वर्तमान समय में प्रयागराज के यमुना नदी के खनन पट्टों का संचालन जनपद कौशाम्बी की सीमा से हो रहा है जिससे जनपद प्रयागराज के प्रशासनिक अधिकारियों की देख–रेख से दूर है और पट्टेधारकों द्वारा यमुना नदी की जलधारा से पोकलैंड मशीनों द्वारा बालू खनन का कार्य किया जा रहा है जिसकी पुष्टि परिवहन किये जा रहे वाहनों से मार्ग पर बहती जलधारा से की जा सकती है जो संलग्न फोटोग्राफ में प्रदर्शित है।

2. जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनन के रोक हेतु ओवरसाईट कमेटी के समक्ष यह कहा गया है कि खनन खण्डों पर सीसी टीवी कैमरे लगाये गये हैं व जीयो कार्डिनेट स्तम्भ स्थापित किए गये हैं जबकि ऐसा कुछ भी स्थलीय जगह पर नही किया गया है और न ही जिला प्रशासन द्वारा जियो कार्डिनेट स्तम्भ की फोटोग्राफ ओवरसाईट समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही सीसी टीवी कैमरे की विगत 3 माह की रिकार्डिंग संरक्षित कर ओवरसाईट

कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिससे यह साफ जाहिर है कि जिला प्रशासन द्वारा ओवरसाईट कमेटी को गुमराह कर गलत सूचनायें दी गयीं थीं।

3. खनन पट्टाधरकों द्वारा अनियमितता बरतते हुए मानक के विपरीत क्षमता से अधिक ओवरलोड वाहनों से परिवहन कराया जाता है, जिला प्रशासन द्वारा ओवरसाईट कमेटी को यह बताया गया कि पट्टेधारकों द्वारा खनन क्षेत्रों पर सीसी टीवी कैमरे लगाये गये हैं लेकिन खनन क्षेत्रों की सीसी टीवी कैमरों की रिकार्डिंग ना ही जिला प्रशासन द्वारा संरक्षित की गयी और ना ही मॉनिटरिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

4. खनन पट्टेधारकों द्वारा खनन कर अवैध रूप से भण्डारण किया जा रहा है जबकि भण्डारण संस्तुति मात्रा से अधिक मात्रा में भण्डारण किया जा रहा है। भण्डारण बिना ई0 एम0एम0 11 प्रपत्र के किया जा रहा है जिससे भण्डारण किस खनन खण्ड से कितनी मात्रा में खनिज निकाल कर भण्डारित किया गया है इसकी पुष्टि नही हो पाती तथा भण्डारणकर्ता द्वारा बाद में भण्डारित बालू को अवैध रूप से परिवहन कराया जाता है।

5. अवैध खनन का कार्य जिला एवं खान प्रशासन की मिलीभगत से व्यापक रूप से फल–फूल रहा है इस बात की पुष्टि मण्डलायुक्त प्रयागराज मण्डल प्रयागराज द्वारा गठित संयुक्त टीम की जांच आख्या से होती है। आयुक्त प्रयागराज मण्डल प्रयागराज द्वारा इस सम्बन्ध में अपने कार्यालय के पत्रांक संख्या 3861 / 30.04.2020 दिनांक 23 सितम्बर 2020 को अपर मुख्य सचिव नियुक्ति अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ का पत्र प्रेषित किया *(जिसकी छायाप्रति संलग्न है)*।

6. जनपद प्रयागराज में हो रहे अवैध खनन में जिला खान एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत के सम्बन्ध में मण्डलायुक्त प्रयागराज मण्डल प्रयागराज द्वारा अपने पत्रांक संख्या 3860 / 30.04.2020 दिनांक 23 सितम्बर 2020 को सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया है *(जिसकी प्रति संलग्न है)* का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें जनपद प्रयागराज में हो रहे अवैध खनन को सिद्ध पाये जाने के आलोक में **जनपद प्रयागराज में अवैध खनन के विस्तृत जांच हेतु विशेष अनुसंधान दल उ0प्र0 लखनऊ (एस0आई0टी0) के गठन की संस्तुति की गयी है** परन्तु जिला प्रशासन के जिन अधिकारियों के विरूद्ध मण्डलायुक्त महोदय प्रयागराज द्वारा कार्यावाही की संस्तुति की गयी उन्ही अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग कमेटी के समक्ष गलत एवं भ्रामक तथ्यों को प्रस्तुत कर मॉनिटरिंग कमेटी को गुमराह किया गया है।

वर्तमान समय में जनपद प्रयागराज के यमुना नदी के खनन पट्टेधारकों द्वारा जनपद–कौशाम्बी से खनन एवं परिवहन कार्य कराया जाता है जहां पर लगातार

अनियमितताएं बरती जा रही हैं, खनन क्षेत्र जनपद–प्रयागराज का होने से जनपद–कौशाम्बी के प्रशासनिक अधिकारियों का कोई हस्ताक्षेप प्रयागराज के खनन खण्डों पर नहीं होता तथा खनन एवं परिवहन क्षेत्र जनपद–कौशाम्बी में होने से प्रयागराज के प्रशासनिक अधिकारियों का निरीक्षण भी नहीं किया जाता इस तरह दो जनपदों के बीच होने का लाभ उठाकर खनन पट्टेधारकों द्वारा मनमाने ढंग से घोर अनियमितता बरतते हुए लगातार अवैध खनन परिवहन तथा भण्डारण का कार्य किया जाता है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों को संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा ओवरसाईट कमेंटी के समक्ष प्रस्तुत भ्रामक एवं गलत तथ्यहीन सूचनाओं के आधार पर जो आदेश माननीय अधिकरण द्वारा पारित किया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है एवं पुनः प्रकरण का संज्ञान लेते हुए भौतिक सर्वेक्षण एवं स्थलीय निरीक्षण हेतु वैधानिक आदेश पारित करने की कृपा करें।

नोटः प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय खान कार्यालय के प्रभारी स्व0 श्री अंजनी कुमार सिंह जी का निधन हो चुका है।

संलग्नकः *नदी की जलधारा में पोकलैण्ड मशीनों द्वारा खनन एवं अवैध परिवहन की फोटोग्राफ एवं अवैध खनन एवं परिवहन से सम्बन्धित दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों की छायाप्रति।*

दिनांक : 23.05.2021

भवदीय

Atul Chauhan

(अतुल सिंह चौहान)
एडवोकेट हाईकोर्ट
24, एच0आई0जी0, कौशाम्बी कुंज,
राजरूपपुर, प्रयागराज।
मो.नं0: 9454600332
पिन नं0: 211001

प्रतिलिपिः इस आशय के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित –

1. माननीय न्यायमूर्ति एस0बी0एस0 राठौर (से0नि0), अध्यक्ष ओवरसाईट कमेटी।
2. श्री अनूप चन्द्र त्रिपाठी, सचिव ओवरसाईट कमेटी।
3. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, खनिज निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

प्रेस नोट

(दिनांक 09.11.2020)

थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस द्वारा 34 अदद ओवरलोड ट्रक / डम्फर को सीज किया गया।

श्रीमान् पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज महोदय द्वारा अवैध परिवहन व ओवर लोडिंग के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस अधीक्षक यमुनापार महोदय, श्रीमान् सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी करछना महोदय के निर्देशन में आज दिनांक 09.11.2020 को मैं सहायक पुलिस अधीक्षक / प्रभारी थाना औ0क्षेत्र मनीष कुमार शांडिल्य IPS मय समस्त पुलिस बल व सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रयागराज की संयुक्त टीम द्वारा 34 अदद ओवरलोड ट्रक / डम्फर के सीज की कार्यवाही की गयी तथा सभी वाहनों के विरूद्ध खनन विभाग को रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

विवरण वाहन-

1. ट्रक UP70GT3624 2. ट्रक UP70HT2851 3. ट्रक UP70FT0712 4. ट्रक UP70GT8445
5. ट्रक UP70ET9511 6. ट्रक UP70FT2312 7. ट्रक UP70GT8444 8. ट्रक UP70FT8284
9. ट्रक UP70AT8511 10. ट्रक UP70FT2322 11. ट्रक UP70GT8446 12. ट्रक UP70HT1212
13. ट्रक UP70HT2812 14. ट्रक UP70FT7958 15. ट्रक UP70FT2612 16. ट्रक UP70FT7960
17. ट्रक UP70FT2622 18. ट्रक UP70GT6611 19. ट्रक UP70ET7711 20. ट्रक UP70HT1670
21. ट्रक UP70FT5844 22. ट्रक UP42AT3392 23. ट्रक UP42BT3636 24. ट्रक UP70ET3311
25. ट्रक UP72T1535 26. ट्रक UP72T9516 27. ट्रक UP72AT5296 28. ट्रक UP70HT2153
29. ट्रक UP70HT2821 30. ट्रक UP70FT3215 31. ट्रक UP70FT1192 32. ट्रक UP72T7575
33. ट्रक UP72T4113 34. ट्रक UP70HT0821

टीम का विवरण:-

1. ASP / थाना प्रभारी - मनीष कुमार शांडिल्य IPS
2. निरीक्षक चन्द्रभान सिंह
3. उ0नि0 दिवाकर सिंह
4. उ0नि0 बैकुण्ठनाथ पाण्डेय
5. उ0नि0 आलोक कुमार पाण्डेय
6. का0 राजेन्द्र कुमार
7. का0 दिवेश कुमार
8. का0 अनिल कुमार यादव
9. का0 आशीष कुमार पटेल

समस्त पुलिस बल थाना औद्योगिक क्षेत्र प्रयागराज

ALTITUDE 39.8 m
216°SW
COURSE W 285° GPS
LAT 25°20'24.964"N
LONG 81°35'27.121"E
TUESDAY 02.16.2021
LOCAL TIME 13:28:38
Unnamed Road, Uttar Pradesh 212218, India

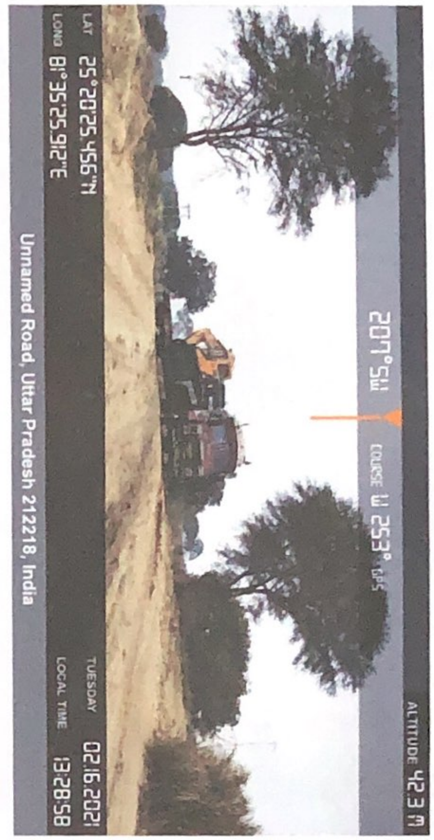
ALTITUDE 42.3 m
207°SW
COURSE W 253° GPS
LAT 25°20'25.456"N
LONG 81°35'25.912"E
TUESDAY 02.16.2021
LOCAL TIME 13:28:58
Unnamed Road, Uttar Pradesh 212218, India

ALTITUDE 43.7 m
58°NE
COURSE SW 230° GPS
LAT 25°20'21.653"N
LONG 81°35'16.879"E
TUESDAY 02.16.2021
LOCAL TIME 13:30:34
Unnamed Road, Uttar Pradesh 212218, India

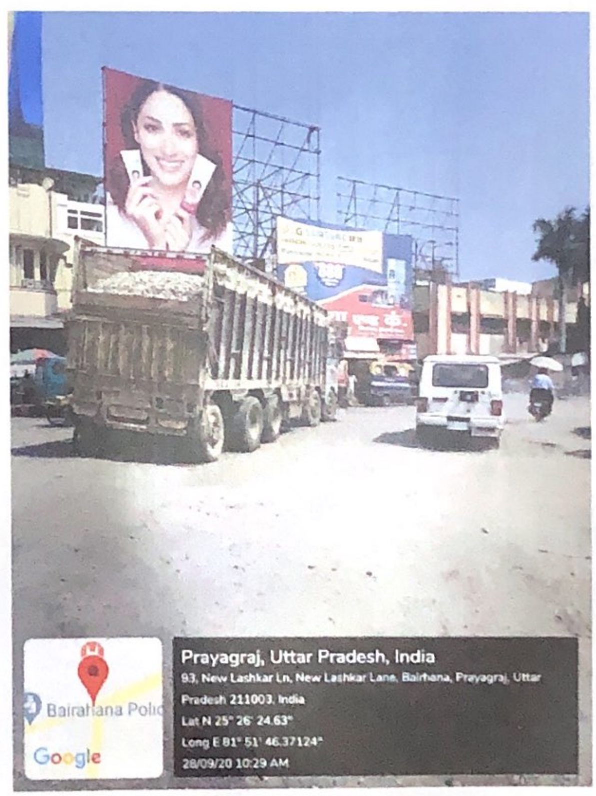
Bairahana Polic
Google
Prayagraj, Uttar Pradesh, India
93, New Lashkar Ln, New Lashkar Lane, Bairhana, Prayagraj, Uttar Pradesh 211003, India
Lat N 25° 26' 24.63"
Long E 81° 51' 46.37124"
28/09/20 10:29 AM

अब माफिया ने बोट से शुरू किया अवैध खनन

गोशालाओं में ट

जागरण मुहिम

मवेशियों की चिंता

युवक पर मुकदमा

कौशाम्बी जागरण

यमुना की धारा रोक अवैध बालू खनन, अधिकारी बेखबर

प्रयागराज जागरण

ठेकेदारों के इशारे पर होता है अवैध बालू खनन

... जब पानी में ही दे दिया था बालू खनन का पट्टा

प्रेषक,

Appendix-II

खान अधिकारी,
प्रयागराज।

सेवा में,

श्री एल0एन0 सोनी
पी0पी0एस0, मा0 अध्यक्ष,
ओवर साईट कमेटी,
राष्ट्रीय हरित अधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक: 2165/खनिज/2021–22

दिनांक: 4/6/2021

महोदय,

कृपया ई–मेल दिनांक 21.05.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें ओ0ए0 नं0–670/2018 के अप्लीकेन्ट द्वारा प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर प्रस्तरवार आख्या चाही गयी है। उक्त के सम्बन्ध में बिन्दुवार सूचना/प्रतिउत्तर निम्नवत् है:–

शिकायतकर्ता श्री अतुल सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 23.05.2021 में उठायी गयी बिन्दु	बिन्दुवार आख्या/प्रतिउत्तर
बिन्दु सं0–1 अवैध परिवहन में संलिप्त वाहनों को जनपद न्यायालय के सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अवमुक्त कर दिया जाता है जबकि अवैध परिवहन में संलिप्त वाहनों के विरूद्ध जिला खान प्रशासन द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष कोई कठोर पैरवी नहीं की जाती और न ही उ0प्र0 सरकार द्वारा मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.2019 के अनुपालन में कोई रूचि नहीं दिखाई जाती है। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.2019 के अनुपालनार्थ उ0प्र0 सरकार द्वारा कोई कठोर नियमावली नहीं बनायी गयी है। उपरोक्त पारित आदेश दिनांक 28.02.2020 के परिपेक्ष्य में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या–1056/86–2020 दिनांक 30.06.2020 को उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को उपरोक्त आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया परन्तु प्रदेश के किसी जनपद में अवैध खनिज के परिवहन में संलिप्त वाहनों के विरूद्ध मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालनार्थ कार्यवाही की गयी तथा ओवरसाईट कमेटी के समक्ष जिला खान प्रशासन, प्रयागराज द्वारा भ्रामक एवं तथ्यहीन जवाब प्रस्तुत किया गया।	जनपद में गठित टास्क फोर्स द्वारा लगातार भ्रमण क्षेत्र रहकर अवैध खनन/परिवहन के आरोप में पकड़े गये वाहनों को विभिन्न थानाओं में निरूद्ध किया गया है, जिसका विवरण वित्तीय वर्षवार पूर्व में मा0 कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–21 (4ए) के तहत वाहनों के अधिहरण /निस्तारण का एकमात्र अधिकार सक्षम न्यायालय को है, जिसके तहत मा0 राष्ट्रीय अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों एवं नियमों/अधिनियमों को समावेशित करते हुए शासनादेश सं0–608(1)/86–10–24/249 दिनांक 15.02.2010 द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत अधिनियम की धारा–22 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर किया गया है। मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0कक्ष सं0–17 व कक्ष सं0–5 इलाहाबाद में दायर किये गये परिवाद में मा0 न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उक्त प्राविधान को समावेशित नहीं किया गया तथा 252 वाहनों को अवमुक्त कर दिया गया, वाहन अवमुक्तिकरण आदेश के विरूद्ध मा0 सत्र न्यायाधीश, इलाहाबाद के समक्ष पुनरीक्षण वाद सभी वाहनों हेतु दायर किया गया। उक्त के अतिरिक्त यहाँ यह भी अवगत कराना है कि जनपद प्रयागराज में

	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पारित आदेश दिनांक 28.02.2020 के अनुपालन में शासनादेश सं0–1056/86–2020 दिनांक 30.06.2020 दिये गये निर्देश के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अब तक रू0 1,54,00,000.00 की धनराशि वसूल की गयी है। उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खाता सं0–701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड **UBIN0570150** यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया बी–1, विभूति खण्ड, बी–3/188, बैभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के खाते में जमा कराया गया है। अतः उक्त से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता द्वारा जानकारी के अभाव में या जानबूझकर मा0 कमेटी को गुमराह किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।
बिन्दु सं0–2 1. जनपद प्रयागराज में यमुना नदी पर 21 बालू खण्डों को दिनांक 07.09.2017 को विज्ञापित किया गया, विज्ञापन से पूर्व जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार नहीं की गयी थी, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट दिनांक 29.11.2017 को मंजूर किया गया जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पब्लिक डोमेन पर नहीं रखा गया सिर्फ **nic** की वेबसाईट पर ही लोड किया गया। 2. प्रयागराज स्थित यमुना नदी के सम्पूर्ण क्षेत्र को 21 खण्डों में विभक्त कर विज्ञापन दिनांक 07.09.2017 को प्रकाशित किया गया तथा निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया दिनांक 29.11.2017 से पूर्व ही पूर्ण कर ली गयी थी जबकि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट दिनांक 29.11.2017 को अनुमोदित हुआ। 3. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गलत ढंग से तैयार कर सम्पूर्ण खण्डों के आवंटन के उपरान्त अनुमोदित कराया गया जिससे जनपद प्रयागराज में यमुना नदी में आवंटित सम्पूर्ण 21 खण्ड नदी की जलधारा में आवंटित कर दिये गये, आपके समक्ष ओ0ए0 नम्बर 670/2018 योजित करने के उपरान्त निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म की जांच आख्या दिनांक 24.06.2019 में प्रयागराज के सम्पूर्ण बालू खण्ड नदी की जलधारा में पाया गया तथा प्रयागराज के सम्पूर्ण खण्डों को निरस्त कर पुनः जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	जनपद प्रयागराज में साधारण बालू के उपलब्ध क्षेत्रों का जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिये दिशा–निर्देशों के अनुसार ही तैयार किया गया है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पब्लिक डोमेन की साईट NIC (NIC की साईट सभी के लिए एक्सेसेवल है) पर लोड किया गया। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की निरीक्षण आख्या दिनांक 24.06.2019 में जनपद प्रयागराज के नदी तल के क्षेत्रों को पुनः सर्वेक्षण कर नये सिरे से गठित किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की आख्या दिनांक 24.06.2019 के विरूद्ध मा0 न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या–22533/2019 मेसर्स सी0एल0 गुप्ता एण्ड सन्स बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 01.08.2019 को आदेश पारित किये गये, जिसके अनुपालन में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के पत्र सं0–787 दिनांक 14.08.2019 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–1963 के नवीनतम संशोधनों के अनुसार नदी तल के क्षेत्रों को पुनः सर्वेक्षण कर नदी की जलधारा से बाहर के खनन योग्य क्षेत्रों की तकनीकी जॉच कर क्षेत्रों में उपलब्ध खनिज की मात्रा के आधार पर नियमानुसार

तैयार कर पुनः आवंटन हेतु निर्देशित किया गया। 4. मॉनिटरिंग कमेटी के समक्ष जिला प्रशासन प्रयागराज द्वारा यह कहा गया कि यमुना नदी के 21 खण्डों में 11 खण्डों को पृथक कर नए सिरे से आवंटन किया गया है। जबकि प्राविधिक कमेटी के रिपोर्ट में 10 खण्ड यमुना नदी के उत्तरी सिरे जनपद कौशाम्बी की तरफ से खनन हेतु उपयुक्त पाया गया, जिला प्रशासन, प्रयागराज द्वारा बिना जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कराए पुनः विज्ञापन कर यमुना नदी के 08 खण्डों को पुनः आवंटित किया गया जबकि निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म महोदया द्वारा पुनः जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट भारत सरकार वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कि फरवरी 2020 की गाईड लाइन के अनुसार तैयार करने को कहा गया है, जिसमें वर्तमान समय में 04 पट्टे जनपद कौशाम्बी की सीमा से खनन एवं परिवहन कार्य कर रहे हैं यहाँ इस बात का उल्लेख करना भी आवश्यक है कि पुनः आवंटित खण्डों को पूर्व में आवंटित पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र स्थानान्तरित कराकर खनन कार्य किया जा रहा है जबकि पूर्व में आवंटित पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ भिन्न थीं। 5. महोदय, जिला प्रशासन द्वारा नदी की जलधारा में स्थित खनन खण्डों को पृथक तो कर दिया गया परन्तु नदी जलधारा में आवंटित खण्डों के दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गयी और न ही आवंटित खण्डों के पट्टेधारकों द्वारा किये गये खनन से हुई पर्यावरण की क्षति का आंकलन कराया गया और न ही पर्यावरण की हुई अपूर्णीय क्षति की भरपाई हेतु दोषियों के विरूद्ध राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गयी।	चिन्हांकन करने हेतु कार्यालय आदेश सं0–1058/ई–टेण्डर बालू/खनन/2019–20 दिनांक 24.09.2019 द्वारा 09 सदस्यीय अन्तर्विभागीय समिति का गठन कर आख्या प्राप्त की गयी। आख्या के अनुसार यमुना नदी के कुल 21 खण्डों में से 11 खण्ड जलमग्न पाये गये, शेष 10 खण्डों में खनन योग्य बालू की उपलब्धता दर्शायी गयी, जिस पर अद्यतन शासनादेशों के अनुसार ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से अग्रिम कार्यवाही की गयी है। जनपद प्रयागराज में डी0एस0आर0 के अनुसार चिन्हित किये गये 51 क्षेत्रों की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में मा0 कमेटी को क्षेत्रवार पूर्व में प्रस्तुत किया गया है, पुनः सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। शिकायतकर्ता द्वारा ओ0ए0 संख्या–670/2018 में पूर्व में सभी तथ्य मा0 न्यायालय /कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। शिकायतकर्ता द्वारा समस्त कार्यवाहियों के भिज्ञ होने के उपरान्त भी केवल द्वेष भावना से ग्रसित होकर पुराने तथ्यों को ही जिस पर मा0 न्यायालय/कमेटी द्वारा निर्णय लिया जा चुका है, को ही पुनः प्रस्तुत किया गया है।
बिन्दु सं0–3 1. वर्तमान समय में प्रयागराज के यमुना नदी के खनन पट्टों का संचालन जनपद कौशाम्बी की सीमा से हो रहा है जिससे जनपद की प्रयागराज के प्रशासनिक अधिकारियों की देख–रेख से दूर है और पट्टेधारकों द्वारा यमुना नदी की जलधारा से पोकलैंड मशीनों	जनपद प्रयागराज के यमुना नदी के खनन पट्टों का संचालन जनपद कौशाम्बी के तरफ से वैध परिवहन प्रपत्र ई0एम0एम0–11 के माध्यम से किया जा रहा है। उपखनिज का परिवहन किसी अन्य जनपद से वैध प्रपत्र के माध्यम से किये जाने पर उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 के

द्वारा बालू खनन का कार्य किया जा रहा है जिसकी पुष्टि परिवहन किये जा रहे वाहनों से मार्ग पर बहती जलधारा से की जा सकती है जो संलग्न फोटोग्राफ में प्रदर्शित है। 2. जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनन के रोक हेतु ओवरसाईट कमेटी के समक्ष यह कहा गया है कि खनन खण्डों पर सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं व जियोकार्डिनेट स्तम्भ स्थापित किये गये हैं जबकि ऐसा कुछ भी स्थलीय जगह पर नहीं किया गया है और न ही जिला प्रशासन द्वारा जियोकार्डिनेट स्तम्भ की फोटोग्राफ ओवरसाईट समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही सीसीटीवी कैमरे की विगत 3 माह की रिकार्डिंग संरक्षित कर ओवरसाईट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिससे यह साफ जाहिर है कि जिला प्रशासन द्वारा ओवरसाईट कमेटी को गुमराह कर गलत सूचनायें दी गयी थीं। 3. खनन पट्टाधारकों द्वारा अनियमितता बरतते हुए मानक के विपरीत क्षमता से अधिक ओवरलोड वाहनों से परिवहन कराया जाता है, जिला प्रशासन द्वारा ओवरसाईट कमेटी को यह बताया गया कि पट्टेधारकों द्वारा खनन क्षेत्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं लेकिन खनन क्षेत्रों की सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिंग ना ही जिला प्रशासन द्वारा संरक्षित की गयी और ना ही मॉनिटरिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत की गयी। 4. खनन पट्टेधारकों द्वारा खनन कर अवैध रूप से भण्डारण किया जा रहा है जबकि भण्डारण संस्तुति मात्रा में भण्डारण किया जा रहा है। भण्डारण बिना ई–एम0एम0 11 प्रपत्र के किया जा रहा है जिससे भण्डारण किस खनन खण्ड से कितनी मात्रा में खनिज निकाल कर भण्डारित किया गया है इसकी पुष्टि नहीं हो पाती तथा भण्डारणकर्ता द्वारा बाद में भण्डारित बालू को अवैध रूप से परिवहन कराया जाता है। 5. अवैध खनन का कार्य जिला एवं खान प्रशासन की मिलीभगत से व्यापक रूप से फल–फूल रहा है इस बात की पुष्टि मण्डलायुक्त प्रयागराज मण्डल प्रयागराज द्वारा गठित संयुक्त टीम की जांच आख्या से होती है। आयुक्त प्रयागराज मण्डल	प्राविधान के अनुसार कोई रोक नहीं है। खनन क्षेत्रों का औचक निरीक्षण तहसील स्तर पर गठित टॉस्क फोर्स द्वारा की जाती है। जल धारा से खनन किये जाने का कोई तथ्य अब तक प्रकाश में नहीं आया है। खनन क्षेत्र से मुख्य जलधारा 50मीटर से अधिक दूरी पर प्रवाहित हो रही है। खनन क्षेत्र नदी किनारे अवस्थित होने के कारण जलस्तर काफी ऊपर होता है, जिसकारण खनन के उपरान्त उस क्षेत्र में जल भराव हो जाता है, जिसे अकसर लोग प्रथम दृष्टया जलधारा समझ लेते हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 के प्राविधानित नियम में मशीनों से नियमानुसार खनन किये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। जनपद प्रयागराज के सभी खनन क्षेत्रों में सी0सी0टी0वी0 कैमरा व तौल मशीन स्थापित है तथा खनन पट्टा क्षेत्रों को जियो कार्डिनेट से चिन्हाकित कर जियोफेसिंग किया गया है जिसकी मॉनिटरिंग निदेशालय स्तर पर स्थापित एकीकृत कमान्ड सेन्टर से भी किया जाता है। खनन पट्टाधारकों द्वारा जनपद कौशाम्बी में वैध भण्डारण लाईसेन्स सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नियमानुसार वैध प्रपत्र के माध्यम से भण्डारण किया जा रहा है। जनपद प्रयागराज में अवैध खनन/परिवहन की रोकथाम हेतु वृहद प्रयास किये गये हैं, जिसके फलस्वरूप अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण है। मा0 न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार की अध्यक्षता में ओवर साईट कमेटी की बैठक दिनांक 08.02.2020 के कार्यवृत्त में भी इसका उल्लेख है। उक्त कार्यवृत्त में यह भी अंकित है कि शिकायतकर्ता द्वारा भी अवैध खनन/परिवहन के विरूद्ध की गयी कार्यवाहियों को माना गया है। शिकायतकर्ता द्वारा समस्त कार्यवाहियों से भिज्ञ होने के उपरान्त भी केवल द्वेष भावना से ग्रसित होकर पुराने तथ्यों को ही पुनः कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत शिकायती पत्र अवैध खननकर्ताओं के विरूद्ध की गयी कार्यवाहियों से प्रभावित व्यक्तियों एवं अन्य जनपदों के पट्टाधारकों द्वारा जनपद में नियमानुसार बालू खनन न होने देने का प्रयास प्रतीत

प्रयागराज द्वारा इस सम्बन्ध में अपने कार्यालय के पत्रांक संख्या–3861 / 30.04. 2020 दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को अपर मुख्य सचिव नियुक्ति अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ का पत्र प्रेषित किया। 6. जनपद प्रयागराज में हो रहे अवैध खनन में जिला खनन एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत के सम्बन्ध में मण्डलायुक्त प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज द्वारा अपने पत्रांक संख्या 3860 / 30.04.2020 दिनांक 23 सितम्बर 2020 को सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया है *(जिसकी प्रति संलग्न है)* का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें जनपद प्रयागराज में हो रहे अवैध खनन को सिद्ध पाये जाने के आलोक में जनपद प्रयागराज में अवैध खनन के विस्तृत जांच हेतु विशेष अनुसंधान दल उ0प्र0 लखनऊ (एस0आई0टी0) के गठन की संस्तुति की गयी है परन्तु जिला प्रशासन के जिन अधिकारियों के विरूद्ध मण्डलायुक्त महोदय प्रयागराज द्वारा कार्यावाही की संस्तुति की गयी उन्हीं अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग कमेटी के समक्ष गलत एवं भ्रामक तथ्यों को प्रस्तुत कर मॉनिटरिंग कमेटी को गुमराह किया गया है।	होता है। जनपद प्रयागराज में गठित टॉस्क फोर्स व तीन रूटों पर 24 X 7 अवधि में कार्यरत सचल दल द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। वित्तीय वर्षवार की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में मा0 कमेटी को पूर्व में इस कार्यालय के पत्र संख्या 574 / खनिज / 2020–21 दिनांक 10.02. 2021 द्वारा अवगत कराया गया है, पुनः सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रस्तुत है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि शिकायती प्रार्थना पत्र जानकारी के अभाव में या जानबूझकर मा0 कमेटी को गुमराह करने के उद्देश्य से श्री अतुल सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

खान अधिकारी,
प्रयागराज।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, प्रयागराज।

03/06/2021

खान अधिकारी,
प्रयागराज।

"PTZ Camera"
realme

"CCTV Camera Display & Feeding Display"

1. "Boundary pillar"

स्वामीदेव मिश्रा
N N M

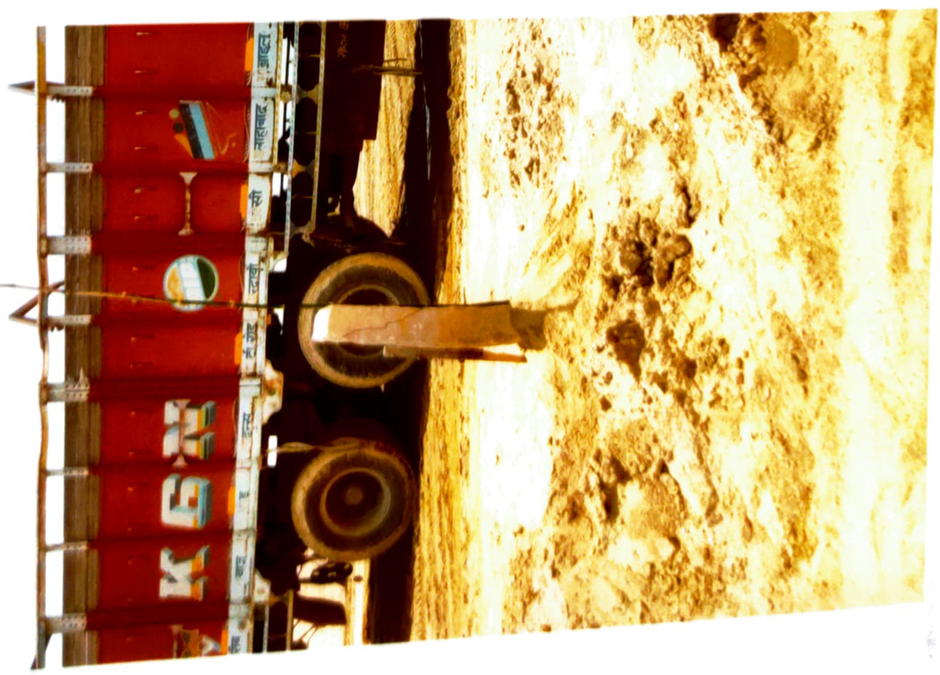

"Boundary pillar"

"Boundary pillar"

"Weighing Bridg
Machine"

"CCTV Camera"

Weighing
Bridge
Machine

"Mining operation Area"
(No any River stream)

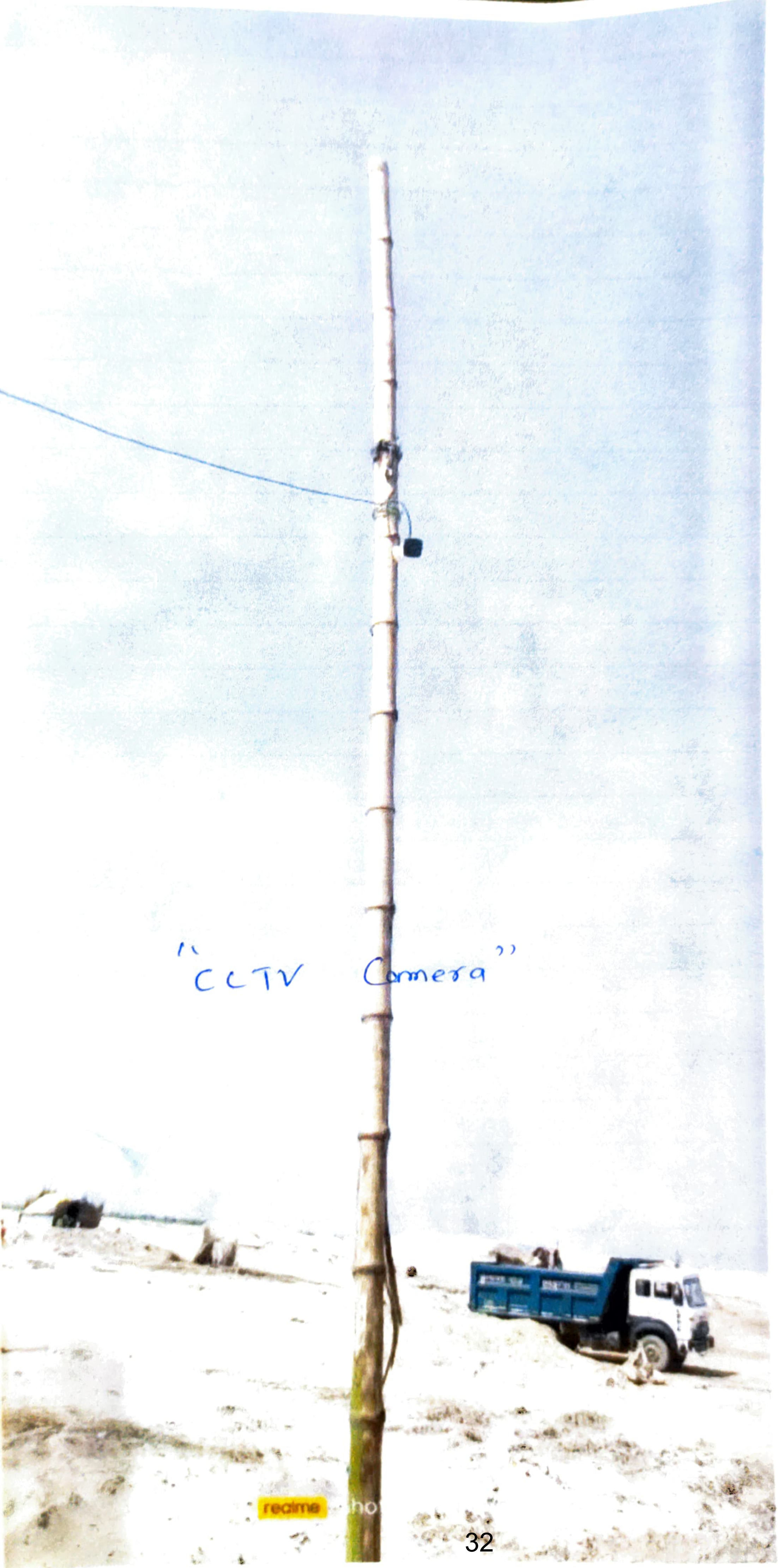
"CCTV Camera"
realme

Display Board.

(Vehicle passing through weighing Bridge Machine)

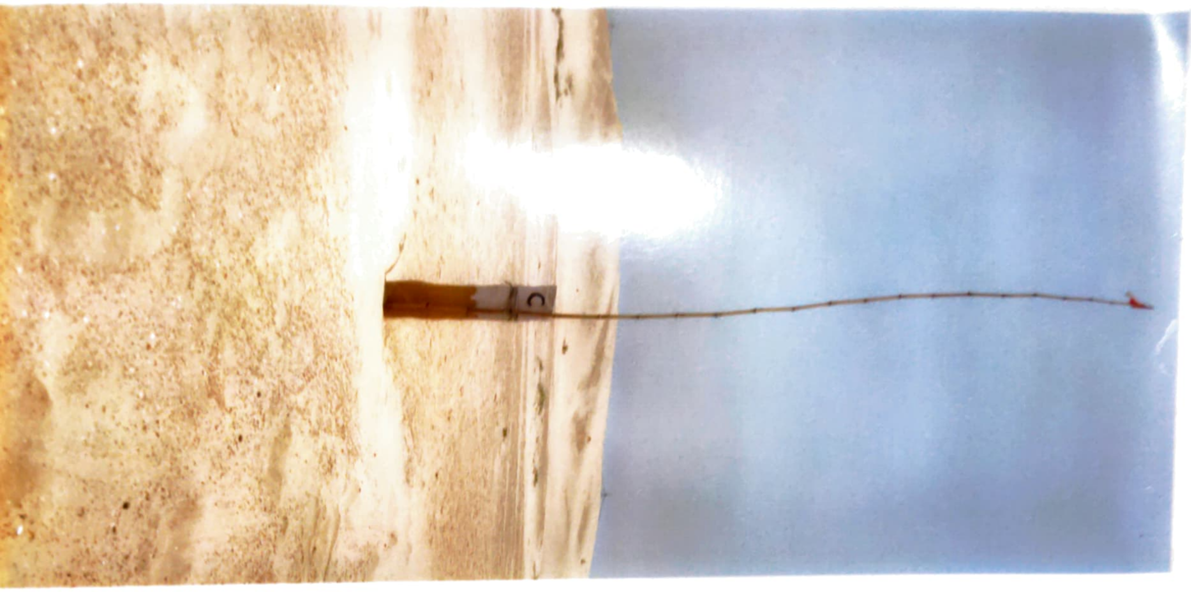
C

D

Weighing Bridge Machine.

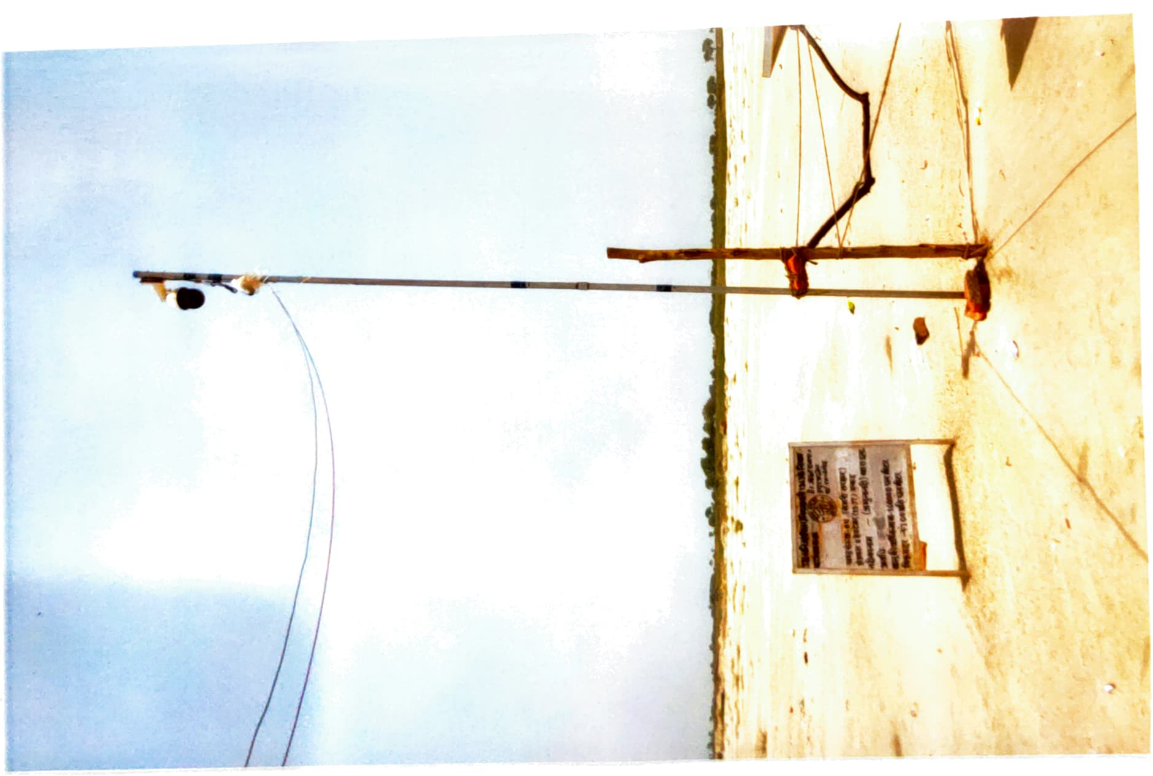

CCTV/PTZ Camera